(115)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक निगरानी 3144-PBR/2014 विरूद्ध आदेश दिनांक 21–10–2013 पारित द्वारा आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल, प्रकरण क्रमांक 10 / निगरानी / 2011–12.

मंशाराम आ0 श्री सोमतसिंह
निवासी ग्राम खोहा तहसील
एव जिला रायसेन म0प्र0

..... आवेदक

विरूद्ध

1–म0प्र0शासन द्वारा कलेक्टर जिला रायसेन
2–अमरसिंह आ0श्री मर्दनसिंह
निवासी ग्राम खोहा तहसील
एव जिला रायसेन म0प्र0

..... अनावेदकगण

.....

श्री प्रेमसिंह, अभिभाषक, आवेदक

श्री जगदीश जैन, अभिभाषक, अनावेदक कमांक 2

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 14/11/17 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 21–10–2013 के विरूद्ध मध्यप्रदेश कृषि खातों की उच्चतम सीमा अधिनियम 1960 (जिसे आगे केवल "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 42 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

2– प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अनावेदक कमांक 2 के विरूद्ध सीलिंग अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण प्रचलित होकर माननीय उच्च न्यायालय तक चला और माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 12–1–11 को आदेश पारित कर इस न्यायालय सहित अधीनस्थ न्यायालय के आदेश निरस्त किये जाकर अनावेदक कमांक 2 को आयुक्त के समक्ष उपस्थित होने के निर्देश दिये गये । माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के पालन में आयुक्त द्वारा कार्यवाही की जाकर दिनांक 21–10–13 को आदेश पारित कर अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये जाकर अनुविभागीय अधिकारी को निर्देशित किया गया कि वे वर्ष 1974–75 की स्थिति में आवेदक एवं उसके परिवार के सदस्यों के द्वारा धारित की जाने वाली असिंचित कृषि भूमि की पात्रता का ऑकलन अधिनियम के परिप्रेक्ष्य में कर ले । यदि अनावेदक कमांक 2 के पास पात्रता से अधिक भूमि पाई जाती है तो विधिनुसार कार्यवाही करने के लिये स्वतंत्र है । आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3– आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अनावेदक कमांक 2 के हस्ताक्षरों की नियमानुसार जॉच करने के आदेश दिये गये थे, परन्तु आयुक्त द्वारा बिना जॉच करें आदेश पारित करने में त्रुटि की गई है । आवेदक की ओर से अधीनस्थ न्यायालय में यह तर्क प्रस्तुत किया गया था कि मूल नस्ती के अभाव में आदेश पारित नहीं किया जा सकता है । इसके बावजूद भी अपर आयुक्त द्वारा आदेश पारित करने में त्रुटि की गई है । प्रश्नाधीन भूमि राजस्व अभिलेखों में आवेदक एवं अन्य व्यक्तियों के नाम से अंकित है, परन्तु अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अनावेदक को लाभ पहुॅचाने के उद्देश्य से प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है जिसके आधार पर आदेश पारित करने में आयुक्त द्वारा त्रुटि की गई है । उनके द्वारा आयुक्त का आदेश निरस्त किया जाकर निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4– अनावेदक कमांक 2 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि आयुक्त द्वारा निगरानी प्रकरण कमांक 10/2011–12 में पारित आदेश दिनांक

21–10–13 के विरूद्ध इस न्यायालय में निगरानी प्रकरण क्रमांक 3145–पीबीआर/14 प्रस्तुत की गई है जो कि इस न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 6–4–16 से निरस्त की गई है अतः यह निगरानी निरर्थक होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

5– उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्क के संदर्भ में अभिलेख का सूक्ष्म अवलोकन किया गया। सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध कलेक्टर के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई है और कलेक्टर द्वारा दिनांक 38–7–1979 को आदेश पारित कर निगरानी निरस्त की गई है । कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध निगरानी आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत की गई है और आयुक्त द्वारा दिनांक 31–10–2013 को निगरानी में आदेश पारित किया गया है । अधिनियम की धारा 44 के अन्तर्गत आयुक्त द्वारा निगरानी में पारित आदेश के विरूद्ध निगरानी प्रस्तुत करने का प्रावधान नहीं है, अतः इस निगरानी के सुनने का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नहीं है । इसके अतिरिक्त आयुक्त द्वारा प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी को निराकरण हेतु प्रत्यावर्तित किया गया है, जहॉ आवेदक अपना पक्ष रखने के लिये स्वतंत्र है । दर्शित परिस्थितियों में आयुक्त द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6– उपरोक्त विवेचना के आधार पर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 21–10–2013 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर.